<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली।</u>

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं0–1173/22

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0</u>

महाराणा नन्दन बनाम यशपाल सिंह उर्फ छुटकन यादव आदि

थानाः–सिरौली, बरेली।

<u>दिनांकः–16.09.2022</u>

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु कथन किया गया है कि दिनांक 31.05.22 कोब्लाक मझगवॉ में क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान की मीटिंग थी। मीटिंग मेंग्राम प्रधान रूखाड़ा जगपाल सिंह उर्फ पप्पू यादव का काम देख रहे यशपाल सिंह उर्फ छुट्टन यादव से सीट को लेकर कहा सुनी हो गयी। यशपाल सिंह उर्फ छुट्टन यादव प्रार्थी के पुत्र के लिये अपने बरावर में नही बैठने दे रहे थे। प्रार्थी के पुत्र ने कहा अगली पंचवर्षीय में वह ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेगा और इसी सीट पर बैठेगा। इस पर यशपाल सिंह उर्फ छुट्टन यादव ने देख लेने की धमकी दी और सुनियोजित ढ़ंग से यशपाल सिंह उर्फ छुट्टन यादव व जगपाल सिंह उर्फ पप्पू यादव व राम औतार सिंह व शिव कुमार ने एक राय होकर प्रार्थी के पुत्र के मोबाईल सं0 9456225169 पर अपने मोबाईल नं0 9027348090 से कॉल कर बुलाया और अपने ट्यूब बैलके कमरे में गला घोटकर हत्या कर दी तथा साक्ष्य मिटाने के लिये डेढ़ मीटर लम्बी रस्सी से बांधकर चंदनियॉ के पेड़ पर लड़का दिया और गॉव में आत्म हत्या की अफवाह फैला दी। प्रार्थी की पत्नी कोशाम 6.00 बजे सूचना दी कि तुम लोग यहॉ बैठे हो तुम्हारे पुत्र ने फांसी लगा ली है। घटना स्थल पर पुलिस व फील्ड यूनिट की टीम पहुॅची तो उक्त व्यक्तियों ने प्रार्थी के तहेरे भाई नवल किशोर को डरा धमकाकर कलह के कारण आत्म हत्या का प्रार्थनापत्र लिखवाकर, के आधार पर पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिये भिजवा दिया। सूचना पाकर प्रार्थी दिल्ली से बरेली के लिये आया तो मृतक के चेहरे पर आत्मसमपर्ण हत्या का कोई लक्षण प्रतीत नही हो रहा था। मृतक के पंचनामा में यशपाल उर्फ छुट्टन यादव ने भ्रम की स्थितिउत्पन्न करने के लिये मृतक का नाम योगेश कुमार उर्फ योगेन्द्र उर्फ गुल्लू पुत्र महाराणा नन्दन उर्फ अमर पाल लिखवाया है, जबकि रिकार्ड में कही उर्फ नही लिखा है। प्रार्थी अपने पुत्र का शव देखकर बेसुध हो गया, सूझ बूझ नही रही, जिस कारण प्रार्थीउससमय कोई प्रार्थनापत्र नही दे सका, किन्तु उसकेबाद कई बार थानाध्यक्ष सिरौली के लिये प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नही की गयी। प्रार्थी ने दिनांक 29.06.22 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली व पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली जोन बरेली के लिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थनापत्र प्रेषित किया किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई।

थाने की आख्यानुसार इस प्रकरण में थाना हाजा पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में विपक्षीगण द्वारा आपस में साजकर योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी के पुत्र योगेश कुमार की गला घोटकर हत्या कारित कर उसका शव पेड़ से लटकाकर उसे आत्महत्या का स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करने का कथन किया है, जबकि थाने से प्राप्त आख्या में स्वयं मृतक योगेश कुमार के चाचा द्वारा थाने पर दी गयी सूचना के अनुसार मृतक योगेश कुमार द्वारा पेड़ पर लटककर फांसीका फंदा लगाकर आत्म हत्या करने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण हैगिंग होना दर्शित किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार प्रकरण में उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार मृतक योगेश कुमार की मृत्यु फांसी लगाकर आत्म हत्या करना प्रकट होता है, जिसे प्रार्थी द्वारा हत्या का स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया जाना प्रतीत होता है। इस स्तर पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. खारिज किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजि0,
बरेली